



उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in

ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-19-परीक्षा/2026

अवर अभियंता (कृषि) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/19

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	14-08-2026
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	17-09-2026
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	07-10-2026
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	14-10-2026

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 07-10-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 07-10-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 14-10-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-19-परीक्षा/2026, अवर अभियंता (कृषि) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/19 के अंतर्गत कृषि निदेशालय के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता के कुल रिक्त 134 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अवर अभियंता (कृषि) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/19 हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025) के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (07-10-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।

2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 07-10-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.5- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2.6 आवेदन(Application)-

I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी

राजवंत

विवरण, श्रेणी, EWS, शैतिज आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारित करने के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्रमाण पत्र संख्या/ अनुक्रमांक, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तिक सम्बन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा
- नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद/पदों को Select करते हुए आवेदन करें।
- III. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर “Enter Verification Code” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात “सबमिट” बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात “अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र” प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.7 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.8 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी में अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.9 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर Save and Submit बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

नोट:- अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का भली-भांति पुनः परीक्षण कर सही पाये जाने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें।

2.10- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी

राजवर्मा K S G

का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II. कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III. शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वतः सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV. यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए **Application Fee Deposition** विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

V. ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरान्त अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

VII. अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

21/07/21

Ku

2

2

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वतः सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि शुल्क के सफल भुगतान/समायोजन के उपरान्त अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियों का परीक्षण अवश्य कर लें, तत्पश्चात् ही अपने आवेदन-पत्र को अंतिम रूप में सबमिट करें।

X. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.11- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

- अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा **OTP (One Time Password)** के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

2/10/2024

- पत्राचार का पता।
- अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- आवेदन में अनिवार्य/अधिमानि अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।
- वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 14-10-2026 तक ही किया जा सकता है। आवेदन में संशोधन हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे अतः आवेदन पत्र को संशोधित करते समय अभ्यर्थी समस्त अंकित प्रविष्टियों को भली-भांति जाँच करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को सबमिट करें तथा संशोधित आवेदन-पत्र का प्रिंट अवश्य प्राप्त कर ले। संशोधन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी दशा में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित अधियाचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित

रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	
1	कृषि निदेशालय	अवर अभियंता	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 9300, वेतनमान (अधिकतम): 34800, ग्रेड-पे: 4200	54	23	01	43	13	134	स्थायी व अस्थायी

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व० संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां				सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी	
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता				(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुत निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)
1	कृषि निदेशालय	अवर अभियंता	02	--	02 (H.H.)	03 (O.A., O.L., L.C. Dw., A.A.V.)	--	--	06	26	02

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- H.H. (एच0एच0)-Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में हास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)

राजवंत

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

- 5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अध्याचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी०सी०, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई०/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई०/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 तथा कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson) हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
1	कृषि निदेशालय	अवर अभियंता	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियन्ता सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है:- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। (2) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो ए०आई० सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित हो। (समकक्ष अर्हता के संबंध में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से निर्गत पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/2024/7972, दिनांक-26-10-2024 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न (संलग्नक-1) है।) अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियन्ता सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में स्थिति (यदि है)
1	कृषि निदेशालय	अवर अभियन्ता	उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियन्ता सेवा नियमावली, 2015 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार सेवा में अवर अभियन्ता के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार -

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या- 32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियन्ता सेवा

राजवंत

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नियमावली, 2015 एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से निर्गत पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/2024/7972, दिनांक-26-10-2024 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 480/47-का-3-2026, दिनांक 30-06-2026 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम का अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञापन के प्रस्तर-9 में उल्लेख किया गया है तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् $\frac{1}{4}$ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	(1) फार्म पावर इंजीनियरिंग एण्ड नान-कनवेन्शनल सोर्सेज आफ एनर्जी	5	5	दो घण्टा (120 मिनट)
	(2) आई.सी.इंजन	5	5	
	(3) ट्रेक्टर	5	5	
	(4) नान कन्वेन्शनल एनर्जी बायोगैस टेक्नालॉजी	5	5	
	(5) विन्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी	5	5	
	(6) पोस्ट हार्बेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड एग्रो वेस्ट इण्डस्ट्रीज: इंट्रोडक्शन	5	5	
	(7) एग्रो-वेस्ट इंडस्ट्रीज	5	5	
	(8) फार्म एण्ड लैण्ड डेवलपमेंट मशीनरी: फार्म मैकेनाइजेशन	5	5	
	(9) इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजीनियरिंग: इंट्रोडक्शन	5	5	
	(10) वाटर रिकवाइरमेंट आफ प्लान्ट्स	5	5	
	(11) इरीगेशन मैथड एण्ड माइनर इरीगेशन	5	5	
	(12) स्वाइल एण्ड वाटरकन्जर्वेशन एण्ड लैण्ड रिक्लेमिनेशन इंजीनियरिंग	5	5	
	(13) लैण्ड रिक्लेमिनेशन एण्ड रिवाइन रिक्लेमिनेशन	5	5	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

पाठ्यक्रम

भाग-1

(विषयगत ज्ञान)

(1) फार्म पावर इंजीनियरिंग एण्ड नान-कन्वेन्शनल सोर्सेज आफ एनर्जी-

इंट्रोडक्शन-सोर्सेज आफ पावर ऑन फार्म्स, कम्परेटिव स्टडी एण्ड यूजेज, लिमिटेशन एण्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आफ एनीमल, फॉसिल फ्यूल (डीजल व पेट्रोल) विन्ड, सोलर, बायोगैस एण्ड इलेक्ट्रिक पावर।

(2) आई.सी.इंजन-

प्रिन्सपल्स हीट इंजन, प्रिन्सपल आफ आपरेशन, क्लासीफिकेशन आफ आई.सी. इंजन्स, प्रिन्सपल्स आफ आपरेशन टू-स्ट्रोक एण्ड फोर-स्ट्रोक इंजन, डीजल एण्ड पेट्रोल इंजन, स्टेशनरी, रेसीप्रोकेटिंग एण्ड रोटरी पार्ट्स, देयर मैटीरियल आफ कान्स्ट्रक्शन एण्ड फंक्शन, कान्सेप्ट आफ टर्म्स रिलेटेड विद आई.सी. इंजन, न्यूमेरिकल प्रोब्लम्स रिलेटेड विद डिफरेंट टर्म्स, परफार्मेंस आफ इंजन।

(3) ट्रैक्टर-

इंट्रोडक्शन: क्लासीफिकेशन आफ ट्रैक्टर एण्ड अडाप्टबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सेलेक्शन आफ ट्रैक्टर, जनरल आइडिया अबाउट डिफरेंट मेक्स, माडल्स, इन डिफरेंट एच.पी. रेन्ज्स आफ ट्रैक्टर्स। आवर्ती कास्ट आफ आपरेशन आफ स्माल पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन एण्ड ट्रैक्टर्स।

(4) नान कन्वेन्शनल एनर्जी बायोगैस टेक्नालॉजी-

इंट्रोडक्शन टू बायोगैस, प्रोडक्शन आफ बायोगैस, बायोडाइजेशन आफ प्लान्ट्स एण्ड एनीमल्स वेस्ट, रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग बायो-डाइजेशन, गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दि प्रोसेस, एलिमिनेशन आफ अनवान्टेड गैसेस सच एज CO₂ एण्ड H₂S फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्सन आफ गैस, इफिसियन्सी आफ बायो-गैस प्लान्ट्स इन विन्टर, यूजेस आफ बायो गैसेस।

(5) विन्ड इंजीनियरिंग एण्ड सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी-

टाइफ़ आफ विन्ड मिल्स-वर्टिकल ऐक्सिस एण्ड हारीजेन्टल ऐक्सिस, वेरियस यूजेस आफ विन्ड मिल्स, साइड सेलेक्सन फार विन्ड मिल कान्स्ट्रक्सन, वर्किंग एण्ड मेन्टीनेन्स आफ विन्ड मिल्स, सोलर रेडिएशन एण्ड पोटेन्शियली आफ सोलर रेडिएशन इन इण्डिया, एप्लीकेशन आफ सोलर एनर्जी, सोलर कलेक्टर।

(6) पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड एग्रो वेस्ट इण्डस्ट्रीज: इंट्रोडक्सन-

इम्पोर्टेंस आफ ग्रेन एण्ड सीड प्रोसेसिंग प्रिन्सपल्स आफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, सीक्वेंस आफ आपरेशन, फ्लो डाइजेशन सर्विसेज आफर्ड बाई प्रोसेसर आफ फारमर्स: wheat, maize, paddy and soyabean

(7) एग्रो-वेस्ट इंडस्ट्रीज-

सुगारकेन क्रसिंग, खाण्डसारी एण्ड गुड मेकिंग प्रोसेस एण्ड इक्युपमेन्ट, वेजीटेबल एण्ड एनीमल वेस्ट यूटिलाइजेशन, बाई-प्रोडक्ट आफ सोयाबीन एण्ड पोटेटो, डिहाइड्रेशन आफ वेजीटेबल्स।

(8) फार्म एण्ड लैण्ड डेवलपमेन्ट मशीनरी: फार्म मैक्नाइजेशन-

डेफिनेशन, स्टेटस आफ फार्म मैक्नाइजेशन इन इण्डिया, स्कोप, लिमिटेशन, एडवान्टेजेस, प्राइमरी एण्ड सेकेन्डरी टिलेज इक्युपमेन्ट सोइंग एण्ड प्लान्टिंग इक्युपमेन्ट, हारवेस्टिंग एण्ड थ्रेसिंग इक्युपमेन्ट, लैन्ड डेवलपमेन्ट इक्युपमेन्ट: कान्सट्रक्शन, आपरेटिंग एण्ड आउटपुट आफ फालीइंग डजन स्क्रेपर, ड्रेगहो एण्ड ड्रेग लाइना

(9) इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजीनियरिंग: इन्ट्रोडक्शन-

डेफिनेशन आफ इरीगेशन, हिस्ट्री आफ इरीगेशन, नेसेसिटी एण्ड स्कोप आफ इरीगेशन डेफिनिशन, नेसेसिटी, वाटर लागिंग, सेलेन्टी, इट्स कंट्रोल इण्टररिलेशनशिप आफ इरीगेशन, ड्रेनेज, ड्रेनेज एफीसिएन्ट, डिफरेंट टाइप आफ सरफेस एण्ड सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम।

(10) वाटर रिकवाइरमेन्ट आफ प्लान्ट्स-

टाइप्स आफ स्वाइल, स्वाइल प्रापर्टीस इन रिलेशन आफ इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज, क्लासेस एण्ड एक्सेंबिलिटी आफ स्वाइल वाटर, इवोपरेशन, ट्रान्सपिरेशन, इवापोट्रान्सपिरेशन, कन्सम्टीव यूज, स्टीमेटिंग क्राप वाटर रिकवाइरमेंट, ड्यूटी आफ वाटर, डेल्टा, एसेसमेन्ट इरीगेशन वाटर रिकवाइरमेंट्स आफ डिफरेंट क्राप्स, स्टीमेशन आफ डेफ्थ एण्ड टाइम आफ इरीगेशन, डिफरेंट क्राइटेरिया फार इरीगेशन सिड्यूलिंग डिपेंडिंग अपान स्वाइल-प्लान्ट-एटमासफेरिक फैक्टर।

(11) इरीगेशन मैथड एण्ड माइनर इरीगेशन-

सरफेस एण्ड सबसरफेस मैथड्स, स्प्रिंकलर एण्ड ड्रिप सिस्टम आफ इरीगेशन एण्ड कन्जक्टिव यूज, मेजरमेन्ट आफ इरीगेशन इफिसियंसीज, वाटर कन्वेन्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड वाटर यूज इफिसिएंसी एण्ड इम्पार्टेन्स, नेसेसिटी एण्ड एडवान्टेज आफ माइनर इरीगेशन, लैंड सर्वे, मैथड आफ लेवलिंग, डिटरमिनेशन आफ कट्स एण्ड फिल, इम्पार्टेन्स, एण्ड नेसेसिटी आफ लेवलिंग, सोर्स आफ माइनर इरीगेशन, डिफिनीशन आफ ड्यूबवेल, नीड, एडवान्टेज एण्ड डिसएडवान्टेज, करेक्टरिस्टिक्स आफ ट्यूबवेल साइट, फैक्टर अफैक्टिंग साइट सेलेक्शन।

(12) स्वाइल एण्ड वाटरकन्जर्वेशन एण्ड लैन्ड रिकलेमिनेशन इंजीनियरिंग-

मैकेनिक्स, टाइप एण्ड काजेज आफ स्वाइल इरोजन, फैक्टर एफैक्टिंग इरोजन, डैमेस काज्ड बाई स्वाइल इरोजन, एग्रोनोमिकल मेजर्स फार स्वाइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन, कन्टूर फार्मिंग, मलचिंग, स्टिप क्रापिंग, कवर क्रापिंग, मिक्सड क्रापिंग, रोल आफ ग्रासेस इन स्वाइल कन्जर्वेशन, मैकेनिकल मैथड आफ इरोजन कन्ट्रोल, फील्ड बन्डिंग, कान्टूर बन्डिंग, ग्रेडेड बन्डिंग, रिज्ड एण्ड चैनल ट्रेसेस। गुली इरोजन कन्ट्रोल: क्लासीफिकेशन आफ गुलीज, कन्ट्रोल आफ बुलीज बाई टेम्परेरी एण्ड परमानेन्ट स्ट्रक्चर्स: इरथेन चेक डेम्स, ब्रस डेम्स, लूज रॉक डेम्स, स्ट्रेट ड्राप स्पिलवे।

(13) लैन्ड रिक्लेमिनेशन एण्ड रिवाइन रिक्लेमिनेशन-

क्लासिफिकेशन आफ यूजर आफ स्वाइल्स, साल्टी रजिस्टेंट क्राप्स, रिक्लेमिनेशन आफ यूजर स्वाइल्स, रिक्लेमिनेशन आफ वेस्ट लैन्ड फारेस्ट लैन्ड्स एण्ड सैन्डी स्वाइल्स, सैडइयून्स स्टैब्लाइजेशन, क्लासिफिकेशन आफ रिवाइन्स एण्ड वेरियस मेजर्स फार रिवाइन रिक्लेमिनेशन।

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - ✓ हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - ✓ इनपुट एवं आउटपुट।
 - ✓ इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
 - ✓ आईटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ✓ ई-मेल आईडीओ को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - ✓ प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - ✓ वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्वा।
 - ✓ ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी)

प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

21/12/21

2

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	(1) Farm Power Engineering and Non-Conventional Sources of Energy	5	5	Two Hours (120 Minutes)
	(2) I.C. Engine (Internal Combustion Engine)	5	5	
	(3) Tractor	5	5	
	(4) Non-Conventional Energy: Biogas Technology	5	5	
	(5) Wind Engineering Technology and Solar Energy Technology	5	5	
	(6) Post-Harvest Technology and Agro-Waste Industries: Introduction	5	5	
	(7) Agro-Based Industries	5	5	
	(8) Farm and Land Development Machinery: Farm Mechanization	5	5	
	(9) Irrigation and Drainage Engineering: Introduction	5	5	
	(10) Water Requirement of Plants	5	5	
	(11) Irrigation Methods and Minor Irrigation	5	5	

21/10/17

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	(12) Soil and Water Conservation and Land Reclamation Engineering	5	5
	(13) Land Reclamation and Ravine Reclamation	5	5
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15
Part-3	General information related to the state of Uttar Pradesh	20	20
Total		100	100

Note- There is a provision of negative marking for each wrong answer for the above examination, which will be 25 percent i.e. $\frac{1}{4}$ of marks prescribed for that question.

SYLLABUS

Part-1

(Subject related Knowledge)

(1) Farm Power Engineering and Non-Conventional Sources of Energy -

Introduction – Sources of power on farms: comparative study, uses, limitations, and brief descriptions of animal, fossil fuel (diesel and petrol), wind, solar, biogas, and electric power.

(2) I.C. Engines-

Principles of heat engines, operating principles, classification of I.C. engines, operating principles of two-stroke and four-stroke engines, diesel and petrol engines; stationary, reciprocating, and rotary parts (materials of construction and functions); concepts of terms related to I.C. engines; numerical problems related to various terms; engine performance

(3) Tractor-

Introduction: Classification and adaptability of tractors; factors affecting tractor selection; general overview of different makes, models, and HP ranges of tractors. Recurring operating costs of small petrol engines, diesel engines, and tractors.

(4) Non-conventional Energy: Biogas Technology –

Introduction to biogas, production of biogas, biodigestion of plant and animal waste, reactions occurring during biodigestion, gases produced during the process,

21/11/21

[Signature]

[Signature]

[Signature]

elimination of unwanted gases such as CO₂ and H₂S, factors affecting gas production, efficiency of biogas plants in winter, uses of biogas.

(5) Wind Engineering and Solar Energy Technology-

Types of windmills (vertical axis and horizontal axis), various uses of windmills, site selection for windmill construction, operation and maintenance of windmills, solar radiation and solar radiation potential in India, applications of solar energy, solar collectors.

(6) Post-Harvest Technology and Agro-Waste Industries: Introduction –

Importance of grain and seed processing; principles of agricultural processing; sequence of operations; flow diagrams; services offered by processors to farmers (for wheat, maize, paddy, and soybean).

(7) Agro-based Industries-

Sugarcane crushing; Khandsari and jaggery making processes and equipment; utilization of vegetable and animal waste; soybean and potato by-products; dehydration of vegetables.

(8) Farm and Land Development Machinery: Farm Mechanization-

Definition, status of farm mechanization in India, scope, limitations, and advantages; primary and secondary tillage equipment; sowing and planting equipment; harvesting and threshing equipment; land development equipment—construction, operation, and output of the following: dozer, scraper, drag hoe, and dragline.

(9) Irrigation and Drainage Engineering: Introduction-

Definition and history of irrigation; necessity and scope of irrigation; waterlogging and salinity (definitions, necessity of control, and control measures); interrelationship between irrigation and drainage; drainage efficiency; and different types of surface and subsurface drainage systems.

(10) Water Requirements of Plants-

Soil types; soil properties in relation to irrigation and drainage; classes and availability of soil water; evaporation, transpiration, and evapotranspiration; consumptive use; estimating crop water requirements; duty of water and delta; assessment of irrigation water requirements for different crops; estimation of irrigation depth and timing; various criteria for irrigation scheduling based on soil-plant-atmosphere factors.

(11) Irrigation Methods and Minor Irrigation-

Surface and subsurface methods; sprinkler and drip irrigation systems and conjunctive use; measurement of irrigation efficiencies (water conveyance, storage, application, distribution, and water use efficiency); and the importance, necessity, and advantages of minor irrigation. Land surveying, methods of leveling, determination of cuts and fills, importance and necessity of leveling, sources of minor irrigation, definition

21/10/21

[Signature]

[Signature]

[Signature]

of a tubewell, need, advantages and disadvantages, characteristics of a tubewell site, and factors affecting site selection.

(12) Soil and Water Conservation and Land Reclamation Engineering-

Mechanics, types, and causes of soil erosion; factors affecting erosion; damage caused by soil erosion; agronomic measures for soil and water conservation (contour farming, mulching, strip cropping, cover cropping, mixed cropping); role of grasses in soil conservation; mechanical methods of erosion control (field bunding, contour bunding, graded bunding, ridge and channel terraces); gully erosion control. Classification of gullies; control of gullies using temporary and permanent structures: earthen check dams, brush dams, loose-rock dams, straight-drop spillways.

(13) Land Reclamation and Ravine Reclamation-

Classification of User soils, salt-tolerant crops, reclamation of Usar soils, reclamation of wasteland, forest lands, and sandy soils; sand dune stabilization; classification of ravines and various measures for ravine reclamation.

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - ✓ Hardware and Software.
 - ✓ Input and Output.
 - ✓ Internet Protocol/IP Address.
 - ✓ IT gadgets and their application.
 - ✓ Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - ✓ Operation of Printer, Tablet and Mobile.
 - ✓ Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
 - ✓ Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep

Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General Information related to The State of Uttar Pradesh)

In this part of the question paper, questions based on History, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dance, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forest, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity, Administration of Uttar Pradesh and Current Events and Achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc. will be asked from the candidates.

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-19-परीक्षा/2026, अवर अभियंता (कृषि) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/19 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 07-10-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता

21/10/2024

संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं०-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्नगत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक

सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 07-10-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

- 11.26- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।
- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला कोई भी पत्राचार/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

र.म.कां

ky

2

9

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

संलग्नक-1

प्रभु,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अनुसचिव,
कृषि अनुभाग-4,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2024/7772

लखनऊ:दिनांक-26/10/2024

विषय:-उत्तर प्रदेश कृषि विभाग अवर अभियंता सेवा नियमावली-2015 में अवर अभियंता के पदों पर चयन हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 12-4099/17/2024-कृषि अनुभाग-4-कृषि विभाग /780899/2024 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कृषि विभाग में "अवर अभियंता" संवर्ग के रिक्त 107 पदों का अधियाचन निदेशालय के पत्र संख्या ए0बी01/1480/अ0अभि0/अधि0/2023-24 दिनांक 17-10-2023 "उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित पत्र संख्या 354/83/चार/आयोग/2021, दिनांक 16-09-2023 एवं पत्र संख्या 588/38/आयोग/2021 दिनांक 06-11-2023 के द्वारा कतिपय आपत्तियों के साथ कृषि विभाग के उपरोक्त अवर अभियंता संवर्ग की नियमावली -2015 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित हो, को शासनादेश संख्या 849/का-2/2021 दिनांक 07-10-2021 के क्रम में समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने की अपेक्षा भी की गयी है।

उक्त पत्र में कृषि विभाग अवर अभियंता सेवा नियमावली 2015 में अवर अभियंता संवर्ग हेतु निम्न शैक्षिक अर्हता निर्धारित है:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।
- (2) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित हो।

उक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा कृषि विभाग में अवर अभियंता के पदों हेतु निर्धारित योग्यता की समकक्षता के प्रकरण में कृषि विभाग अवर अभियंता सेवानियमावली-2015 में अवर अभियंता संवर्ग हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हताओं से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है, जिससे समकक्ष अर्हता का निर्धारित करते हुए, कृषि विभाग में अवर अभियंता के रिक्त पदों को मा0 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन कराया जा सके।

उक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि उपरोक्तानुसार समकक्षता संबंधी कोई शासनादेश परिषद में उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (ए0आई0सी0टी0ई0) के एप्रूवल प्रोसेस हैण्डबुक (APH 2022-23) के Annexure-7 उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित Relevant/Appropriate पाठ्यक्रम की सूची दी गयी है, जिसे अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आई0सी0टी0ई0) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती हैं (संलग्न)।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

अभवजानी
28.10.2024

ANNEXURE-7

Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma In Engineering and Technology

Major Discipline	Corresponding Courses (if any)	Diploma Courses permissible for Merger
Aeronautical Engineering		Aero Space Engineering
		Aeronautical Engineering
		Aircraft Maintenance Engineering (Avionics)
		Aircraft Maintenance Engineering
Agriculture Engineering		Agricultural Engineering
		Agricultural Technology
Architecture		Architectural Assistantship
		Interior Decoration
		Interior Design
Biotechnology		Biotechnology
Ceramic Engineering		Ceramic Engineering and Technology
		Ceramic Technology
		Ceramics Engineering
		Glass and Ceramics Engineering
Chemical Engineering	Chemical Engineering	Chemical Engineering
		Chemical Engineering (Fertilizer)
		Chemical Engineering (Oil Technology)
		Chemical Engineering (Petro Chemical)
		Chemical Engineering (Plastic and Polymer)
		Chemical Engineering (Sugar Technology)
		Chemical Engineering
		Chemical Technology
		Chemical Technology (Paint Technology)
		Chemical Technology (Rubber and Plastic Technology)
		Chemical Technology Fertilizer
		Chemical Technology (Rubber/ Plastic)
		Surface Coating Technology
		Technical Chemistry
	Oil and Paint Technology	Paint Technology
		Chemical Engineering (Oil Technology)
		Chemical Technology (Paint Technology)
	Petrochemical Engineering	Petrochemical Engineering
		Petrochemical Refinery
		Petrochemical Technology
		Petroleum Engineering
		Petroleum Technology
		Chemical Engineering (Petro Chemical)
		Plastic and Mould Technology

		Computer Science and Engineering Computer Science Computer Science and Technology Computer Science and Systems Engineering Computer Software Technology Computer Technology Computer Technology and Applications Cyber Forensics and Information Security Computer Applications Network Engineering Web Designing Web Technologies Electronics and Computer Engineering Computer Science and Information Technology Information and Communication Technology Information Engineering Information Science Information Science and Engineering Information Science and Technology Information Security Management Information Technology Information Technology and Engineering Information Technology Enabled Services and Management Advanced Communication and Information System I.T. (Courseware Engineering) Computer and Information Science
Dairy Engineering	Information Technology	Dairy Engineering
Electrical Engineering		Electrical and Electronics (Power System) Electrical and Electronics Engineering Electrical and Instrumentation Engineering Electrical and Mechanical Engineering Electrical and Power Engineering Electrical Energy Systems Electrical Engineering (Instrumentation and Control) Electrical Engineering Electrical Engineering (Electronics and Power) Electrical Engineering (Industrial Control) Electrical Machines Electrical Power Systems Power Systems Engineering Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Communication Engineering	Electronics Engineering	Applied Electronics Digital Electronics Digital Electronics and Microprocessor Digital Systems Electrical and Electronics (Power System)

		Automation and Robotics
		Automation Engineering
		Control and Instrumentation
		Biomedical Instrumentation
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electronic Instrumentation and Control Engineering
		Electronics and Instrumentation Engineering
	Instrumentation Engineering	Electronics (Robotics)
		Electronics Communication and Instrumentation Engineering
		Electronics Robotics
		Industrial Electronics
		Instrument Technology
		Instrumentation
		Instrumentation and Control Engineering
		Instrumentation (E&C)
		Instrumentation Engineering
		Instrumentation Technology
	Medical Electronics Engineering	Bio Electronics
		Biomedical Engineering
		Medical Electronics Engineering
		Medical Electronics
		Biomedical Instrumentation
Fire and Safety Engineering		Fire Technology and Safety
Food Engineering		Food Processing and Preservation
		Food Processing Technology
		Food Technology
Leather Technology		Footwear Technology
		Leather and Fashion Technology
		Leather Goods and Footwear Tech
		Leather Technology
		Leather Technology (Footwear)
		Leather Technology Footwear Computer Aided Shoe Design
		Leather Technology Tanning
		Saddlery Technology and Export Management
Marine Engineering		Marine Engineering and Systems
		Marine Engineering
		Marine Engineering and Systems (Artificer Training)
		Marine Engineering and Systems
Mechanical Engineering	Automobile Engineering	Automobile Engineering
		Automobile Engineering (Automobile Fitter)
		Automotive Engineering
		Mechanical Engineering (Automobile)

		Tool and Die Making
		Tool and Die Engineering
		Tool and Die Under Mechanical Engineering
		Tool Die and Mould Making
	Mechatronics	Mechatronics
		Robotics and Mechatronics
Metallurgy Engineering		Metallurgical Engineering
		Metallurgy
		Metallurgy and Material Technology
Military Engineering		Artificer Training (Electronics)
		Artificer Training (Electrical)
		Artificer Training (Mechanical)
		Armament Engineering (Gun Fitter)
		Weapons Engineering
		Navy Entry Artificer/ Diploma in Mechanical and Electrical
Mining Engineering		Mine Engineering
		Mine Surveying
		Mining and Mine Surveying
		Shipbuilding Engineering
		Drilling Engineering
		Drilling Technology
Packaging Technology		Packaging Technology
		Printing and Packing Technology
Pharmaceutical Engineering		Pharmaceutical Chemistry and Technology
Printing Engineering		Printing and Packing Technology
		Printing Technology
Pulp Technology		Pulp Technology
		Wood and Paper Technology
Textile Engineering		Apparel Design and Fabric
		Apparel Design and Fabrication Technology
		Apparel Design and Fashion Technology
		Apparel Manufacture and Design
		Apparel Technology
		Computer Aided Costume Design and Dress Making
		Costumer Design and Dress Making
		Handloom and Textile Technology
		Textile Technology (Man Made Fibre Technology)
		Dress Designing and Garment Manufacturing
		Fashion and Clothing Technology
		Fashion and Design
		Fashion and Apparel Design
		Fashion Designing
		Fashion Designing and Garment Technology
		Fashion Technology

Cosmetology		Beauty and Hair Dressing
		Beauty Culture and Cosmetology
		Cosmetology and Health
Cinematography		Applied Videography
		Audiography and Sound Engineering
		Cinematography
		Direction Screen Play Writing and TV Production
		Film and Video Editing
		Film Editing and TV Production
		Film Technology and TV Production (Cinematography)
		Film Technology and TV Production (Film Processing)
		Film Technology and TV Production (Sound Recording and Sound Engineering)
		Film Technology (Animation and Visual Effects)
		Photography
		Sound Recording Engineering
Hotel Management		Hotel Management and Catering Technology
Journalism and Mass Communication		Mass Communication
Cement Technology		Cement Technology
Engineering Education		Engineering Education
Fisheries Technology		Fisheries Technology
Home science		Home Science
Jewellery Design and Manufacture Technology		Jewellery Design and Manufacture Technology
Library and Information Science		Library and Information Science
Sugar Technology		Sugar Technology
Travel and Tourism		Travel and Tourism
Wood Technology		Wood Technology

परिशिष्ट-1

प्रारूप-1।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।
श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका पारवार उत्तर प्रदेश
के ग्रामतहसील.....नगर.....जिला.....में
सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य

वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/

जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्रामतहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की
.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनांक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-राज्य संख्या-31/2019/41/V/20021 क-21 फ्रीडी.सी.-11, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्न

(प्रपत्र-1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

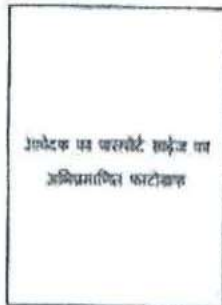
तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।



हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-जाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
 ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
 थाना तहसील
 जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
 प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (बेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती-----नियासी ग्राम-----
-----तहसील-----नगर-----
जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विविहित अथवा अविविहित) उपरान्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM-1

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

- (1) Name : _____
(Surname) (First Name) (Middle Name)
- (2) Father's Name : _____ Mother's Name : _____
- (3) Date of Birth : _____ / _____ / _____
(Date) (Month) (Year)
- (4) Age at the time of application : _____ years
- (5) Sex: Male/Female/Transgender _____
- (6) Address:
(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

(c) Period since when residing at current address _____
- (7) Educational Status (please tick as applicable)
- (i) Post Graduate
 - (ii) Graduate
 - (iii) Diploma
 - (iv) Higher Secondary
 - (v) High School
 - (vi) Middle
 - (vii) Primary
 - (viii) Non-literate
- (8) Occupation _____
- (9) Identification marks (i) _____ (ii) _____
- (10) Nature of disability :
- (11) Period since when disabled: From Birth//since year _____
- (12)(i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ____ yes/no
- (ii) If yes, details:
- (a) Authority to whom and district in which applied _____
- (b) Result _____ of _____ application
- (13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :

Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 - (a) ration card,
 - (b) voter identity card,
 - (c) driving license,
 - (d) bank passbook,
 - (e) PAN card,
 - (f) passport,
 - (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 - (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,
- (i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.
2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:

Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____ State _____
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
 - dwarfism
 - blindness
- (Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor
disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines
(..... number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate.

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

(Dr. _____)

(Dr. _____)

Member

Member

Chairperson

Medical Board with seal

Medical Board with seal

Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of _____ Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - percent

In words : - percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

परिशिष्ट-9

Form -IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt/Kum _____ son/wife/daughter of Shri

Date of Birth (DD/MM/YY) _____

Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____

permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____

Post Office _____ District _____ State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of

_____ disability. His/her extent of percentage physical

impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the

guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued